संоसं०–6/N–15–59/2018.........

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

1477 (6)

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
कटिहार, जहानाबाद, सारण, मधुबनी, मुँगेर।

पटना, दिनांकः 20 /12/2018

विषयः **ए०एन०एम० के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेंस कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सिविल सर्जन कटिहार, जहानाबाद, सारण, मधुबनी, मुँगेर आदि जिलों द्वारा ए०एन०एम० के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति निमित रोस्टर क्लीयरेंस कार्रवाई के मामले में कतिपय बिन्दुओं के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही हैं।

विदित हों कि ए०एन०एम० का पद जिला स्तरीय संवर्ग का पद हैं। इसके नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला के सिविल सर्जन होते हैं। ए०एन०एम० के ग्रेड–पे 2400/– एवं पुनरीक्षित वेतन स्तर–4 हैं। उक्त पदों के रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जाना हैं।

स्वीकृत्यादेश संख्या–808(1) दिनांक–07.12.2011 द्वारा नर्सिंग व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु भारतीय लोक स्वास्थ्य मापदण्ड (IPHS) के अनुसार 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के हिसाब से प्रति उपस्वास्थ्य केन्द्र दो ए०एन०एम० की दर से 40000 ए०एन०एम० की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए पूर्व से सृजित ए०एन०एम० के 11553 पद के अतिरिक्त 28447 अतिरिक्त पद सृजित किया गया हैं। इसके अलावे अन्य स्वीकृत्यादेश संख्या द्वारा कतिपय संस्थानों में ए०एन०एम० के पद सृजित किए गए हैं (छायाप्रति संलग्न)।

अवमाननावाद संख्या–4108/2013 एवं 4057/2011 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 7000 ए०एन०एम० के रिक्त पदों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना औपबंधिक रूप से विभागीय पत्रांक–1271(6) दिनांक–30.12.2015 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई थी। उक्त के आलोक में आयोग द्वारा 6478 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हो गई हैं जिनका यथाशीघ्र जिला आवंटन/नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जानी हैं।

विभागीय पत्रांक–361(6) दिनांक–11.05.2018 द्वारा नव नियुक्त 4255 ए०एन०एम० कर्मियों का कोटिवार मेधा सूचि विभागीय वेबसाईट के Office Document के Letter Circular में संधारित हैं। साथ ही सभी को सूचि उपलब्ध भी करा दी गई हैं।

संबंधी जिला द्वारा यदि पूर्व में बिना रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई करते हुए कोटिवार रिक्तियॉ विभाग को भेजी गई हैं अथवा रोस्टर क्लीयरेंस से संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में नए सिरे से रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई नियमानुसार बैकलॉक, अनुमान्यता आदि की गणना करते हुए कोटिवार रिक्तियाँ एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनु०:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।

E/Rakesh/A/Letter

ज्ञापांकः– 1477 (6) दिनांकः– 20/12/2018

प्रतिलिपिः– संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 7000 ए0एन0एम0 के रिक्त पदों के विरूद्ध 6478 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हो गई है जिनका यथाशीघ्र जिला आवंटन/नियुक्ति की कार्रवाई की जानी हैं। अनुरोध है कि यथाशीघ्र रोस्टर क्लीयरेंस का निर्धारण अविलम्ब करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर यथाशीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

E/Rakesh/A/Letter